पुरानी पेंशन योजना - समय की मांग

डॉ. लक्ष्मीनारायण नागौरी

एस.बी.के.राजकीय महाविद्यालय,जैसलमेर

जब सेवारत कार्मिक सेवानिवृत सेवामुक्त (डिस्चार्ज) त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुरुप उसे पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन प्राप्त होती है।[1]

पेंशन क्या है और उसका प्रारम्भ कब व कैसे हुआ यह कोई ठोस तिथि अथवा प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता अतिप्राचीन मध्यकाल एवं वर्तमान समय में भी कार्मिकों को राज्य अथवा नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत के पश्चात पेंशन का लाभ दिया जाता रहा है।

भारत, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों में पुराने समय में भी पेंशन के प्रावधान प्राप्त होते है।

आधुनिक भारत में "रायल कमीशन ऑन सिविल एस्टेबलिसमेंट ने 1881 में पहली बार सरकारी कार्मिकों को पेंशन का लाभ प्रदान किया था।" बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 एवं 1935 में भी प्रावधान किये गये थे। आगे चलकर कामकाजी आबादी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत रही हो तक इसका विस्तार किया गया।

1989 में बिस्मार्क ने जर्मनी में वृद्धावस्था में वितीय सुरक्षा के उद्देश्य से 70 वर्ष की आयु में लोगों की पेंशन का प्रावधान किया कतिपय क्षेत्रों में इसे राज्य द्वारा पेंशन प्रारम्भ माना गया है।

पेंशन के सम्बंध में भारत ने पश्चिम का अंधानुकरण नहीं किया है। अतिप्राचीन समय से ही भारतीय विचारकों ने कार्मिक प्रशासन का व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस संदर्भ में शुक्रनीति प्रथम ग्रंथ और शुक्र प्रशासनिक चिन्तन के पिता कहे जाये तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

शुक्रनीति में सामान्यतया कार्मिक की सेवा अवधि 40 वर्ष मान्य की है। 40 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात कार्मिक को सेवानिवृत किया जाना चाहिए। सेवानिवृति के पश्चात भरण पोषण के लिए आजीवन 50% वित राशि दी जानी चाहिए इसे राज्य का कर्तव्य माना गया है। [2]

शुक्रनीति में केवल पेंशन ही नहीं अपितु पारिवारिक पेंशन अल्प आयु संतान/विधवा महिला/वृद्ध माता–पिता को दिये जाने का प्रावधान किया है।

कार्मिक को कुल वेतन राशि का 1/6 अथवा 1/4 भाग काटकर राज्य अपने यहां जमा करे। दो या तीन वर्ष पश्चात इस राशि का 50% अथवा 100% भुगतान कर दिया जाना चाहिए। [3]

इसी प्रकार व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अवकाश अवधि विश्राम की व्यवस्था प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के भी प्रावधान शुक्रनीति में किये गये है।

उक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय चिन्तन परम्परा में भी कार्मिक कल्याण को सुनिश्चित किया गया है।

पेंशन क्या है? और क्यों दी जाती हैः–?

पेंशन वह राशि है जो किसी भी कार्मिक को सेवानिवृति पश्चात सम्मानपूर्वक सुरक्षित जीवन व्यापन करने के लिए नियोक्ता द्वारा कार्मिक की सेवाओं के प्रतिफल के रुप में दी जाती है। इसका प्रावधान हर युग एवं काल में रहा है यद्यपि ये प्रावधान देशकाल की परिस्थिति अनुसार परिवर्तनशील रहे है। इसमें प्रतिगामी व अग्रगामी परिवर्तन होते रहे है।

पेंशन क्यों दी जानी चाहिएः–

1. कार्मिक सम्मानपूर्वक एवं सुरक्षित जीवनव्यापन कर सके इसलिए पेंशन दी जानी चाहिए ।
2. पेंशन का आर्कषण सरकारी सेवाओं में आने का बड़ा कारण रहता है।
3. पेंशन के लाभ को देखकर योग्यतम,बुद्धिमान ईमानदार इंसान अपनी प्रतिभा से सम्पूर्ण समाज को लाभान्वित करता है। और प्रतिभाओं का अन्य व्यवस्थाओं में पलायन नहीं होता है।

4. भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए भी कार्मिकों में भविष्य के प्रति निश्चिंतता होना आवश्यक है। अगर पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त होगा तो असुरक्षित आर्थिक भविष्य की आशंका में उत्कोच, भ्रष्ट आचरण करने के लिए प्रेरित हो सकता है। वह अधिकाधिक मात्रा में धन संग्रह की चेष्ठा करेगा। इससे राजकोष व जनता सभी की हानि होगी। इसलिए पारदर्शी ईमानदार, संवेदनशील प्रशासन के लिए आर्थिक उत्प्रेरक पेंशन हो सकती है और कार्मिक को दिया जाना चाहिए।

भारत में OPS V/S NPS :–

भारत में कार्मिकों को सरकार द्वारा पेंशन निर्बाध रुप से दी जाती रही है लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एन.डी.ए. की वाजपेयी की सरकार ने 2004 में OPS (ओ.पी.एस.) को बंद कर दिया तथा NPS योजना लागू की गयी। और प्रावधान किया गया कि भारत के सभी निवासी और अनिवासी नागरिक जो 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में हो राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल हो सकते है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना क्यों आई?

विगत कुछ वर्षों से बाजार की शक्तियां (Market forces) नीतियों एवं निर्णय प्रकिया को व्यापक रुप से प्रभावित कर रहे है। जिन लोगों का आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण होता है वही राजव्यवस्था पर और नीति निर्णय को नियंत्रित करते है। लम्बी कालअवधि से समाज में कार्मिक वर्ग के बारें में भ्रांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। कार्मिकों को भ्रष्टाचारी कामचोर और अन्य अनेक प्रकार की नकारात्मक व्यंगोक्तियों से भूषित किया जाता रहा है इतना ही नहीं इस वर्ग को अनुत्पादक मान लिया गया और राजकोष पर बड़ाभार माना जाने की प्रवृति विकसित हो गयी है और बढ़ती पेंशन देन दारियों का आवरण लेकर पेंशन व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया।

NPS बाजार संचालित योजना लागू की गयी तथा पूंजी बाजार में दीर्घकाल में वृद्धि से कर्मचारी वर्ग को भी लाभ होगा ऐसा झुनझुना पकड़ा दिया गया तथा नियोक्ता को देन दारियों के भार से मुक्त कर दिया गया।

पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को पेंशन प्राप्ति के लिए अंशदान (योगदान) नहीं करना होता था। नवीन पेंशन योजना जिसे राष्ट्रीय पेंशन योजना कहा जाता है उसमें कार्मिक को अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन प्राप्त करने के लिए देन होता है। 2004 के पश्चात लोगों को NPS में लाया गया ।

OPS क्यों नहीं ? एक दृष्टि :–

लेडरः–7 फायनान्सियल एडवाईजर के संस्थापक सुरेश सदगोपन के अनुसार विभिन्न सरकारों की बढ़ती पेंशन देनदारियों के लिए बदलाव की आवश्यकता थी और ओ.पी.एस. जारी रखना सरकारी खजाने के लिए संभव नहीं था। ओ.पी.एस. को पुनः लागू करना विनाशकारी होगा ।

RBI के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने भी कहा कि " Re launch of old pension scheme is a financial disaster"

NPC में जब 19 वर्ष की अवधि पूरी हुई अर्थात् 2023 के आस पास कार्मिक लोग सेवा निवृति के बारें में गंभीरता से सोचने को मजबूर हुए और बाजारी शक्तियां (market forces) हमेशा अपना लाभ ही अधिकतम प्राप्त करना चाहते है अनेक बार पूंजी बाजार में सूनामी, भूकम्प और खून खराबा होता है। उस समय कार्मिक को बाजार भरोसे छोड़ना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित माना नही जा सकता, यह केवल अनैतिक ही नही अव्यवहारिक भी है।

OPS के प्रावधान :–

2004 से पूर्व सेवानिवृत होने पर कार्मिक वर्ग को एक निश्चित पेंशन दिये जाने का प्रावधान है इसके निर्धारण का आधार सेवानिवृत कर्मचारी के अंतिम वेतन को बनाया गया है। इतना ही नहीं शुक्रनीति की भांति भारत में कार्मिक अथवा सेवानिवृत व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी उसकी विधवा पत्नी और अल्प आयु वर्ग की संतान को भी पेंशन प्रदान की जाती है।

मुख्य प्रावधानः–

1. सेवानिवृति के पश्चात व्यक्ति के अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रुप में दिये जाने का प्रावधान है।
2. पेंशन के लिए कार्मिक के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है।
3. भुगतान की सुरक्षित व्यवस्था है कोष कार्यालय से भुगतान होता था।
4. 20 लाख रुपये ग्रेज्युटी दिये जाने का प्रावधान है।

5. भविष्यनिधि का भी प्रावधान है जिसमें राज्य एवं कार्मिक दोनों का अंशदान होता है।

6. मंहगाई भता (D.A.) में बढ़ोतरी का लाभ सेवानिवृत कार्मिक को भी देय है।

पेंशन राज्य सूची का विषय है। 42 वें स्थान पर इसका उल्लेख हे। पेंशन का भुगतान राज्य की संचित निधि से किये जाने का प्रावधान है।

संवैधानिक प्रावधान :–

कोई भी राज्य अपने कार्मिकों के लिए पेंशन की योजना अपने संसाधनों से प्रारम्भ या परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार रखता है। राज्य का यह कार्य विधि सम्मत और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरुप ही होता है। इसमें केन्द्र की सहमति या असहमति का कोई प्रावधान नहीं है और केन्द्र इसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता क्यों कि सम्पूर्ण व्यय राज्य की संचितनिधि से देय होता है। इसी कारण नागालैण्ड, मिजोरम और मेघालय में 2010 तक पुरानी पेंशन योजना प्रभावी रही और पश्चिमी बंगााल में आज भी पुरानी पेंशन योजना प्रभावी है। राज्यों के लिए NDA(वाजपेयी) सरकार नें 2004 में भी NPS को वैकल्पिक ही रखा है अनिवार्य नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि पूंजीवाद उदारीकरण और बाजारी शक्तियों के द्वारा स्थापित विमर्श से प्रेरित व प्रभावित होकर अन्य अनेक राज्यों के साथ राजस्थान भी NPS लागू करने में अग्रणीय रहा है। बाद में केन्द्र में आने वाली UPA -I व UPA -II तथा प्रांतों में भी कांग्रेसी व समाजवादी दलों की सरकारों ने NPS को यथावत रखा लेकिन बदलते राजनीतिक परिदृश्य में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वर्ष 2022–23 से राजस्थान में NPS को समाप्त कर OPS लागू किया अर्थात् 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त होने वाले कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय होगा।

कर्मचारी संघ देश भर में OPS लागू करने की लम्बे समय से मांग करते आ रहे है।

राजस्थान, पंजाब, छतीसगढ़, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश OPS के लिए लागू किया है।

राजनीतिक लाभ के लिए बेहिसाब उधारी और सरकारी खर्च आने वाली पीढ़ीयों का भविष्य नष्ट कर देगें ऐसा ही हमारें पड़ौसी देशों ने किया है। [4]

प्रधानमंत्री केवल Cost factor देख रहे है लेकिन कार्मिक वर्ग अपने Cost factor of family देख रहा है।

मोंटेकसिंह अहलूवालिया ने दीवालिया होने की चेतावनी दी है।(Reciepe for financial bank ruptcy)[5] प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सौगत भट्टाचार्य ने ओ.पी.एस. को वितीय टाइम बम्ब बताया।[6] जबकि वास्तविकता यह है कि OPS नहीं तो 35 वर्ष की अवधि के पश्चात भी कार्मिक सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और वह सुशासन का हिस्सा (good governance) नहीं बन पायेगा। सशस्त्र बल और विधायिका के सदस्यों को केन्द्र ओ.पी.एस. देता है किन्तु पैरामिल्ट्री को एन.पी.एस. दिया जा रहा है ऐसा क्यों?

न्यायपालिका को OPS साथ ही व्यवस्थापिका के सदस्यों को (विधायक व सांसद) को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है जब कि 35 वर्ष की सेवा करने वाले कार्मिक को एन.पी.एस. ऐसा क्यों?

कार्मिक समूह किसी भी व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करते है। सरकार की समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन और सुशासन कार्मिक वर्ग को संतुष्ट रखकर ही किया जा सकता है।

यह एक प्रमाणित तथ्य है कि कर्मचारी वर्ग युद्ध, शांति , प्राकृतिक आपदा तथा महामारी के दौरान अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने का उपक्रम करता है। अभी कोरोना संकट के समय कर्मचारियों को सरकार ने **कोरोनावारीयर्स** तक की उपमा दे दी लेकिन वही सरकार पेंशन के भुगतान के समय इस संवर्ग को दिये जाने वाले भुगतान को विकास में बाधक व अपव्यय मान लेते है। आश्चर्य का विषय है कि अल्पकाल के लिए रहने वाले व्यवस्थापिका के सदस्य ओ.पी.एस. का पात्र मान लिया गया है और 35 वर्ष की सेवा करने वाले को बाजार की निर्मम शक्तियों के भरोसे छोड़ दिया है साथ ही न्यायपालिका के संवर्ग को ओ.पी.एस. दिया जाता है। व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के लिए सुरक्षित क्षेत्र ढूंढ़ लिया और कर्मचारी वर्ग को बाजार की ताकतों के हवाले कर दिया गया।

राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा बाद में कांग्रेस शासित राज्यों ने एन.पी.एस. को समाप्त कर निश्चित रुप से खेल में परिवर्तन कर दिया है। भले ही ऐसा राजनीतिक लाभ और उद्देश्य से किया हो लेकिन अन्य दलों को भी कौन रोक रहा है?

पुरानी पेंशन का मुद्दा अब राज्य व केन्द्र की सीमाओं से बाहर निकल कर राष्ट्रीय मुद्दा बन ही गया है। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा प्रभावी रहने वाला है। सरकारी कार्मिकों और उन पर आश्रित 10 करोड़ मतदाताओं की नाराजगी कौनसी सरकार लेना चाहेगी। [7]

पुरानी पेंशन की बहाली किसी भी राजनीतिक दल को भारी समर्थन दिला सकती है। समय की मांग है किसी भी विवेकशील नेतृत्व व दल को मुठ्ठी भर बाजरे की मांग (पेंशन की मांग) के लिए दिल्ली की सता दांव पर लगाने का जोखिम नहीं लेना चाहिए।

संदर्भ :–

1. राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 (नियम–4)
2. शुक्रनीति द्वितीय अध्याय (श्लोक 414 पृष्ठ 120)
3. शुक्रनीति द्वितीय अध्याय (श्लोक 415 पृष्ठ 121)
4. India Today 10 Feb2023 प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य
5. 6 Jan 2023 Hindustan Times
6. Business news Today 13 Jan 2023
7. अमर उजाला 13 May 2023 एन.जे.सी.ए. के संयोजक शिवगोपाल मिश्र का वक्तव्य